

## होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग में नियोजित श्रमिकों को देय विशेष भत्ता

होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग में नियोजित कर्मचारियों को रा0सं0 513/36-1-2016-1075 (एस0टी0)/85, दिनांक: 18.04.2016 के प्राविधानानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 239 अंकों के ऊपर पर जनवरी,2019 से जून,2019 के औसत अंक 311 (तीन सौ ग्यारह) पर दिनांक 01.10.2019 से 31.03.2020 तक निम्नलिखित दृष्टांत की भांति उनकी मूल मजदूरी को शतप्रतिशत निष्प्रभावी करके विशेष भत्ता देय है।

दृष्टांत -रु0 6350/- प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक: 01.10.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक देय विशेष भत्ता निम्नवत् है :-

$$\frac{(311-239) \times 6350}{239} = 1912.97 \text{ रु0 प्रतिमाह}$$

विभिन्न मासिक मजदूरियों पर देय विशेष भत्ता प्रतिमाह निम्नवत् है :-

होटल और रेस्टोरेंट के वर्ग	श्रेणी	मूलवेतन	मंहगाई भत्ता	कुल योग प्रतिमाह	दैनिक मजदूरी
सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल और रेस्टोरेंट एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले व अन्य प्रतिष्ठान चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये तथा जिनमें 10 से कम कर्मकार नियोजित हैं	अकुशल	6350	1912.97	8262.97	317.81
	अर्द्धकुशल	7000	2108.79	9108.79	350.34
	कुशल	7840	2361.84	10201.84	392.38
सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल और रेस्टोरेंट एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले व अन्य प्रतिष्ठान चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये तथा जिनमें 10 से अधिक कर्मकार नियोजित हैं	अकुशल	6730	2027.45	8757.45	336.83
	अर्द्धकुशल	7420	2235.31	9655.31	371.36
	कुशल	8310	2503.43	10813.43	415.90
	अति कुशल	8975	2703.77	11678.77	449.18
स्टार होटल एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले अन्य प्रतिष्ठान चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये	अकुशल	7540	2271.46	9811.46	377.36
	अर्द्धकुशल	8980	2705.27	11685.27	449.43
	कुशल	10640	3205.36	13845.36	532.51
	अति कुशल	12565	3785.27	16350.27	628.86

(आर0 पी0 गुप्ता)

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,  
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।


कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी०टी० रोड, कानपुर।

पत्र संख्या: 224-47/आई०आर०-19(मं०भत्ता)

दिनांक: 14-10-2019

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ को अवगत कराएं तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2. उप श्रमायुक्त, प्रवर्तन, मुख्यालय।
3. पुस्तकालय प्रभाग, मुख्यालय, कानपुर।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
5. उप श्रम आयुक्त, नजारत को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।



(आर० पी० गुप्ता)

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,  
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।